



बिहार सरकार

कुशल युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण के लिये

निबंधन संख्या—

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम:-

2. आवेदक के पिता / पति का नाम

3. *लिंग :- पुरुष महिला तृतीय

पासपोर्ट सार्झ फोटो

4. जन्म-तिथि :-

5. आवासीय पता:-

6. *कोटि- (1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अति पिछ़ा वर्ग (4) पिछ़ा वर्ग (5) सामान्य

7. आधार कार्ड संख्या:-

यदि आधार कार्ड नहीं है तो उसका पंजीयन संख्या (EID No.):-

8. बैंक की विवरणी:-

(1) बैंक एवं शाखा का नाम:-

(2) खाता संख्या:-

(3) IFSC कोड़:-

9. मोबाइल नं.:-

10. ई०-मेल आई० डी०:-

11. शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा उत्तीर्ण	विद्यालय/ संस्थान का नाम	बोर्ड / परिषद् का नाम	परीक्षा का अनुक्रमांक	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिक (10वीं)				

*जो लागू हो उसे कर दें।

12. कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु केन्द्र चयन का विकल्प :-

प्रशिक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता	जिला का नाम	
	प्रखण्ड का नाम	
प्रशिक्षण हेतु द्वितीय प्राथमिकता	जिला का नाम	
	प्रखण्ड का नाम	
प्रशिक्षण हेतु तृतीय प्राथमिकता	जिला का नाम	
	प्रखण्ड का नाम	

आवेदक की घोषणा

- मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी आयु आवेदन की तिथि को 15 से 25 वर्ष के बीच है।
- मैं बिहार में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण हूँ एवं मैंने कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं की है, न ही कर रहा/ रही हूँ।
- मुझे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं है।
- मुझे किसी भी सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता / छात्रवृत्ति / कौशल विकास की सुविधा / केंडिट कार्ड / किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
- मैं बिहार का/ की स्थायी निवासी हूँ।
- शैक्षणिक योग्यता, आयु, बिहार के स्थायी निवासी होने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा स्वभिप्रमाणित (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र, (ii) स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र एवं (iii) आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर दिया गया है।
- मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनायें सही हैं। यदि कोई सूचना जाँच के क्रम में गलत पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

कुशल युवा प्रशिक्षण से संबंधित घोषणा

- मैं वचन देता / देती हूँ कि कुशल युवा प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर:-
 - सभी प्रशिक्षण सत्रों / कक्षाओं में उपस्थित रहूँगा / रहूँगी,
 - अनुशासित होकर प्रशिक्षक के अनुदेशों का पालन करूँगा / करूँगी,
 - सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करूँगा / करूँगी एवं
 - जबतक उक्त शर्तों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करूँगा / करूँगी मुझे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा।

आधार कार्ड के उपयोग से संबंधित घोषणा

मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मैं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता/देती हूँ कि:-

- यू०आई०डी०ए०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू०आई०डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन में वर्णित बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाये।
- इसे एन०पी०सी०आई० (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाये, ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त बैंक खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/ समझती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी बैंक खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/ चाहूँगी।

- (iii) यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने मे उपयोग किया जाये।
- (iv) मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाइल संख्या को एस0एम0एस0 अलर्ट हेतु उपयोग मे लायी जाये।
- (v) मैं समझता/ समझती हूँ कि आधार संख्या के बारे मे मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपर्युक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग मे नहीं लाया जायेगा।

स्थान :-

तिथि

आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण अनुदेश :-

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आने की तिथि एवं समय e-mail तथा SMS द्वारा सूचित किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर इस आवेदन पत्र पर अपना फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर निम्न कागजातों की मूल प्रति एवं स्वभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर उपस्थित होना है:-
 - I. 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि वर्णित हो
 - II. आवासीय प्रमाण पत्र
 - III. किसी अनुसूचित बैंक में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शार्खा का IFSC कोड स्पष्टतः अंकित हो।
 - IV. आधार कार्ड / आधार कार्ड के पंजीयन संख्या (EID No.) की पावती
2. किसी भी प्रकार की जानकारी/ सहायता हेल्पलाइन नंबर _____ से प्राप्त किया जा सकता है।

पावती रसीद

सुश्री/ श्री/ श्रीमती _____ से कुशल युगा प्रशिक्षण हेतु दिनांक _____ को सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त किया, जिसका निबंधन संख्या _____ है।
बैंक खाता को आधार संख्या से जोड़ने पर इसकी सूचना आपको भेजी जाएगी।

प्राप्तकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर